21

संख्या- /2017/4323/नौ-5-16-151बजट/15

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 10 जनवरी, 2017

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, रामपुर में रामपुर की आन्तरिक ड्रेनेज पुनर्गठन योजना पार्ट-5 से सम्बन्धित प्रायोजना की निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रामपुर के पत्र संख्या-1008/05/एचओडी दिनांक 27.12.2016, शासनादेश संख्या-279/2015/3238/नौ-5-15-151बजट/15 दिनांक 12.08.2015, तथा शासनादेश संख्या-121/2016/1371/नौ-5-15-151बजट/15 दिनांक 04.05.2016 तथा शासनादेश संख्या-240/2016/2606/नौ-5-16-151बजट/15 दिनांक 29.08.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत **नगर पालिका परिषद, रामपुर में रामपुर की आन्तरिक ड्रेनेज पुनर्गठन योजना पार्ट-5 से सम्बन्धित प्रायोजना** की **रूपये 1317.33 लाख (रूपये तेरह करोड़ सत्रह लाख तैतीस हजार मात्र)** पर निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-37 के राज्य सेक्टर के नगरीय जल निकासी योजना से अन्तिम किश्त के रूप में अवशेष धनराशि **रूपये 65.86 लाख (रूपये पैसठ लाख छियासी हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या-279/2015/3238/नौ-5-15-151बजट/15 दिनांक 12.08.2015 द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष कुल अवमुक्त धनराशि	अवशेष धनराशि	अन्तिम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	6	7
1	नगर पालिका परिषद, रामपुर में रामपुर की आन्तरिक ड्रेनेज पुनर्गठन योजना पार्ट-5 से सम्बन्धित प्रायोजना	1317.33	1251.47	65.86	65.86

(रूपये पैसठ लाख छियासी हजार मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम तथा सचिव/विशेष कार्याधिकारी /उप सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक/पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाता/पी.एल.ए. में नहीं रखा जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(5) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) शासनादेश संख्या-279/2015/3238/नौ-5-15-151बजट/15 दिनांक 12.08.2015 में उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को नियमानुसार संबधित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत ***लेखाशीर्षक "2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"*** के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-2[illegible]/2017/4323(1)/नौ-5-16-151बजट/15 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश ।
3- जिलाधिकारी, रामपुर।
4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, रामपुर, उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-10/01/2017

प्रेषण संख्या:- 21

आवंटन आदेश संख्या:- 001-21-2017-4323-9-5-16-151B-15

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

02 - नगरीय जल निकासी कार्य

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	रामपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6586000 152393000	6586000 152393000
	योग	वर्तमान प्रगामी	6586000 152393000	6586000 152393000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पैंसठ लाख छियासी हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पन्द्रह करोड़ तेइस लाख तिरानवे हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी